महत्वपूर्ण / प्राथमिकता
संख्याः– 2593 / रा0प0 2012

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

1–आयुक्त,
गढवाल / कूमायूँ मण्डल ।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

दिनांक: 06 ~~जुलाई~~ अगस्त 2012 ।

विषय– गढवाल एवं कुमायूँ मण्डल में शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ तथा समस्त जनपदों में शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव,उत्तराखण्ड शासन,सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग,देहरादून के शा0सं0 165 / सु0भ्र0उ0ज0स02012–02(1) 2012 दिनांक 21 जून 2012 व राजस्व विभाग के शा0स0 846 / 18(1) / 2012–6(1) / 2012 दिनांक 11 जुलाई 2012 की (छाया प्रति संलग्न)का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा मण्डल स्तर पर व जनपद स्तर पर आम जन की कठिनाईयों के निराकरण हेतु तथा परिवादों / शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल स्तर पर **शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ** तथा जनपद स्तर पर **शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ** के सृजन के निर्देश पारित किये गये हैं तथा शासनादेशानुसार जिलाधिकारी प्रत्येक माह जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों / परिवादों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे तथा जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 6 तारीख तक प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार मण्डलायुक्त द्वारा भी अपने मण्डल के समस्त जनपदों की शिकायत निवारण की स्थिति की प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय,जनपदीय कार्यालय,मण्डलायुक्त कार्यालय स्तर पर शिकायतों / परिवादों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप–1 पर पंजिका रखी जायेगी तथा लम्बित प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त स्तर पर प्रारूप–2 पर पंजिका रखी जायेगी । शिकायतों को दर्ज कराने हेतु जनपद हरिद्वार,उधमसिंहनगर एवं देहरादून में दो–दो कम्प्यूटर आपरेटर / डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं अन्य जनपदों सहित मण्डलायुक्त स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर / डाटा एन्ट्री आपरेटर की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की भी शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इन आपरेटरों का पारिश्रमिक का भुगतान जिला कार्यालय / मण्डलायुक्त कार्यालय में प्राविधानित आय–व्यय व्यवस्था से किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि शासनादेशानुसार मण्डल स्तर पर **शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ** तथा जनपदों में **शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ के गठन** की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि ।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

R/M' 2377/R०40/12
18-6-12

संख्या–846 /XVIII(1)/2012–06(1)/2012

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सहा० राजस्व आयुक्त (प्रशा०)
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेवा में,

अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 11 जुलाई, 2012

विषयः–गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल में "शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ" तथा समस्त जनपदों में "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ" के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–165/सु0भ्र0उ0ज0स0/2012–02(01)/2012 दिनांक 21 जून, 2012 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश में उल्लिखित दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव